

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल छपरा के पत्रांक 811 दिनांक 02/07/14 के द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजना के प्राक्कलन में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। साथ ही इन योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 6 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि का 80 % की राशि को विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

क्र.सं.	प्रकृत का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 80 %	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	छपरा सदर	राजेन्द्र स्टेडियम छपरा में लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य।	4984800	4984800	3987840	श्री राजीव प्रताप रुई

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ( उनघास लाख चौरासी हजार आठ सौ रुपये मात्र)  
विमुक्ति राशि ( उनचालिस लाख सतासी हजार आठ सौ चालिस रुपये मात्र)

**कार्यकारी एजेन्सी का नाम :-** इन स्वीकृत योजना का कार्य कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल छपरा के द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

**कार्यान्वयन की शर्तें**

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी चरण से अवरोध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

